



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239302
CG-DL-E-03102022-239302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]
No. 676]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

संख्या 52/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 759(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 785(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 364ख के सामने, स्तंभ (2) में, "7107 00 00, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7118" प्रविष्टि के स्थान पर, "7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00, 7112, 7118" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/261/2022-TO(TRU-I)-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 50/2022- सीमा शुल्क, दिनांक 27 सितंबर, 2022, जिसे सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 27 सितंबर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

No. 52/2022-Customs

G.S.R. 759 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section (3) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, against S. No. 364B, in column (2), for the entry “7107 00 00, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7118”, the entry “7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00, 7112, 7118” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/261/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE. Under Secy.

Note: - The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th day of June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 50/2022-Customs, dated the 27th September, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 730(E), dated the 27th September, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

संख्या 53/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 760 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी 2021, जिसे सा. का. नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 , उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15क	7110	निम्नलिखित के अलावा अन्य माल:- (क) प्लैटिनम और पैलेडियम का निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग हेतु:- (i) शीर्ष 2843 के अधीन आने वाले सभी माल जिसके अंतर्गत नोबल मेटल कंपाउंड और नोबल मेटल सोल्यूशन्स भी है; (ii) उपशीर्ष 3815 12 के अधीन आने वाले सभी माल; (iii) टैरिफ मद 8421 32 00 के अधीन आने वाले कैटेलेटिक कन्वर्टर;	1.5%”.

		बशर्ते कि, आयातक सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है; (ख) रोडियम	
--	--	--	--

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/261/2022-TO(TRU-I)-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 11/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 1 फ़रवरी 2021, जिसे सा. का. नि. 69(अ), दिनांक 1 फ़रवरी 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2022- सीमा शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022, जिसे सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 21 मई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

No. 53/2022-Customs

G.S.R. 760 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely :-

In the said notification, in the Table, after Sl. No. 15 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15A.	7110	Goods, other than the following: - (a) Platinum and Palladium for use in the manufacture of: - (i) all goods, including Noble Metal Compounds and Noble Metal Solutions, falling under heading 2843; (ii) all goods falling under sub-heading 3815 12; (iii) catalytic converters falling under tariff item 8421 32 00; Provided that, the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022; (b) Rhodium	1.5%".

[F. No. CBIC-190354/261/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended, *vide* notification No. 27/2022-Customs, dated the 21st May, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 379(E), dated the 21st May, 2022.